न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

निगरानी प्रकरण क्र0 निगरानी 706-I-15 सन् 2015

श्रीमती नन्नी बाई पत्नी श्री नत्थू ढीमर

निवासी ग्राम – टिकुरी तहसील राजनगर

जिला – छतरपुर म0प्र0 ..... निगरानीकर्ता

बनाम

म0 प्र0 शासन ..... गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर छतरपुर के निगरानी प्रकरण क्रमांक 103/अ–19–4/स्व0निग0/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 23.02.2015 से दुःखी होकर ।

महोदय,

आवेदिका/निगरानीकर्ता निम्नलिखित निगरानी आवेदन पत्र सादर प्रस्तुत करती है:–

निगरानी के तथ्य

1. यह कि ग्राम टिकुरी की भूमि खसरा नं0 272 रकवा 1.222 हे0 निगरानीकर्ता के लम्बे अर्से से चले आ रहे कब्जा काश्त की भूमि थी तथा उसका निगरानीकर्ता ने विकास किया एवं उत्तम कृषि योग्य बनाया , जिसमें कड़ी मेहनत कर हजारों रूपये व्यय किये । उक्त भूमि में निगरानीकर्ता का हर प्रकार से हित व सरोकार एवं कब्जा होने से , साथ ही भूमिहीन होने से उसे उसका विधिवत तरीके से न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार प्रभारी चन्द्रनगर तहसील राजनगर (जिन्हें आगे मूल न्यायालय से संबोधित किया जावेगा) द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/अ–19–4/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 12.01.2004 के जरिए भूमिस्वामी पट्टा प्रदान किया गया ।
2. यह कि वर्ष 2003–04 में दिये गये पट्टा की कार्यवाही न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय, छतरपुर (जिन्हें आगे अधीनस्थ न्यायालय से सम्बोधित किया जायेगा) द्वारा वर्ष 2005–06 में प्रकरण क्रमांक 103/अ–19–4/निग0/2005–06 दर्ज कर लगभग सात वर्ष

क्रमशः //2//

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 706/एक/2015 जिला—छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18.10.16	यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 103/अ—19(4)/2005—06 स्वमेव पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 23.02.2015 के विरूद्व म0प्र0 भू—राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2— प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम टिकुंरी तहसील राजनगर, जिला छतरपुर में स्थित भूमि सर्वे नं. 272 रकवा 1.222 हैक्टेयर का आवेदक के हित में म0प्र0 कृषि प्रयोजनो के लिए उपयोग की जा रही दखलरहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबन्ध अधिनियम सन् 1984 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के नियम 3 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 12.01.2004 के अनुसार किया गया था। इस आदेश के विरूद्व किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई अपील अथवा पुनरीक्षण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया और आदेश अंतिम हो गया। किन्तु इसके बावजूद अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण को स्वंमेव निगरानी में पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 23.02.2015 से नायब तहसीलदार क्षेत्र चन्द्रनगर तहसील राजनगर का आदेश निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्व इस न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया। अपर कलेक्टर, छतरपुर के आदेश के विरूद्व आवेदिका द्वारा यह वर्तमान निगरानी राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 3— प्रकरण में आवेदिका के अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में	

यह बताया कि आवेदिका को नायब तहसीलदार क्षेत्र चन्द्रनगर तहसील राजनगर द्वारा विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए दखलरहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबंध अधिनियम सन् 1984 के अनुसार व्यवस्थापन किया गया था, जिसके पश्चात् आवेदक द्वारा उक्त भूमि को कृषि उपयोगी बनाया गया, जिसमें आर्थिक व्यय एवं शारीरिक श्रम किया गया। आज वर्तमान में उपरोक्त भूमि कृषि उपयोगी हो गयी है, किन्तु अपर कलेक्टर, छतरपुर द्वारा उपरोक्त प्रकरण को अधिक समय बाद स्वमेव पुनरीक्षण में लिया गया है। जबकि लम्बे समय पश्चात् प्रकरण को स्वमेव पुनरीक्षण में नहीं लिया जा सकता। इस संबंध में 1994 आर.एन. 392, 2010 आर.एन. 273, 2011 आर.एन. 426, 2010 आर.एन. 409 उच्च.न्याया. के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये, अंत अभिभाषक द्वारा वर्तमान निगरानी स्वीकार किये जाकर अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.02.2015 निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4— अनावेदक की ओर से शासकीय अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया कि अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा वर्तमान प्रकरण में जो कार्यवाही कर आदेश पारित किया है, वह विधि एवं प्रक्रिया के अनुसार सही होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

5— प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक के तर्को पर मनन किया गया एवं मेरे द्वारा विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयो के आदेशों का सूक्ष्य अध्ययन किया। नायब तहसीलदार क्षेत्र चन्द्रनगर तहसील राजनगर का आदेश दिनांक 12.01.2004 एक अपीलीय आदेश था, जिसके विरूद्ध किसी भी व्यक्ति अथवा शासन द्वारा कोई

अपील प्रस्तुत नहीं की है, ऐसी स्थिति में उक्त आदेश अपने स्थान पर अंतिम हो गया है, अपीलीय आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण अथवा स्वप्रेरणा पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता। जहॉ तक अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के आदेश का प्रश्न है तो उनके द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत प्रकरण स्वमेव निगरानी में अधिक समय बाद लिया है। जबकि न्यायदृष्टांत 1994 आर.एन. 392 उच्च.न्याया. , 2010 आर.एन.273 उच्च न्याया., 2011 आर.एन.426, 2010 आर.एन.409 पूर्ण पीठ में उल्लेख किया है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग–आदेश की अवैधता, अनौचित्यता तथा कार्यवाहियों की अनियमितता की जानकारी के दिनांक से समुचित कालावधि के भीतर होना चाहिए – 180 दिन के भीतर प्रयोग की जानी चाहिए। इसलिए उपरोक्त न्यायदृष्टांत को नजरअंदाज कर जो आदेश अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा पारित किया गया है, वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.02.2015 निरस्त किया जाकर नायब तहसीलदार क्षेत्र चन्द्रनगर तहसील राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.01.2004 स्थिर रखा जाकर यह निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदक का नाम पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में दर्ज करें, तदनुसार यह वर्तमान निगरानी स्वीकार की जाती है।

सदस्य